P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-4* ISSUE-5*January-2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

आपातकाल में मीडिया की भूमिका का अध्ययन

योगेन्द्र सिंह
शोध छात्र,
राजनीतिक विज्ञान विभाग,
कोटा विश्वविद्यालय,
कोटा

सारांश

लोकतंत्र में प्रेस को चौथा स्तम्भ माना जाता है। लोकतंत्र की मजबूती का प्रेस की आजादी से सीधा संबंध है। स्वस्थ्य लोकतंत्र की धमनियों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रक्त की तरह बहती है और निष्पक्ष मीडिया लोकतंत्र का हृदय है जो सुनिश्चित करता है कि रक्त संचार को सुचारू रूप से होता रहे। यही कारण है कि जब भी जहां भी लोकतंत्र को कमजोर करने या उसकी हत्या करने की कोशिश की गयी पहला बार मीडिया की आजादी पर किया गया। कोई भी तानाशाह स्वतंत्र प्रेस/मीडिया का पक्षकार कभी नहीं हो सकता। तानाशाही में भय और आतंक के विरूद्ध डटकर खड़ी होने वाली मीडिया को बेरहमी से कुचला जाता है। भारत में भी आपातकाल के बहाने तानाशाही का ऐसा भी रूप देखा है।

मुख्य शब्द : आपातकाल, प्रेस, मीडिया, लोकतंत्र, सेंसरशिप, तानाशाह, मींसा।

प्रस्तावना

25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने भारत में आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल के लगते ही प्रेस पर सेंसरशिप लागू हो गया प्रेस को साफ संदेश दे दिया गया था कि उनको इंदिरा इज इंडिया एण्ड इंडिया इज इंदिरा मानना होगा या भुगतना होगा। कुछ ने झुकने से साफ इंकार कर दिया, भारतीय मीडिया के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गया। आपातकाल का वह दौर।

आपातकाल की घोषणा के साथ ही प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गयी। स्वतंत्रता के बाद ऐसी पहली बार हुआ था। प्रेस पर पूर्ण सेंसरशिप लगाई गई थी। सभी अखबारों के सम्पादकों पर आपातकाल के दौरान हो रही ज्यादतियों की खबर ना छापने के लिए दबाव बनाया गया। बड़ी संख्या में पत्रकार इस दबाव के आगे नतमस्तक हो गये। मीडिया में सत्ता की चापलूसी करने वाले पत्रकारों ने भारतीय पत्रकारिता को हमेशा के लिए शर्मिन्दा कर दिया। अधिकतर अखबारों में केवल सरकारी विज्ञप्तियों को ही खबर की तरह छापा जा रहा था। मीडिया में आपाताकल और सरकार विरोधी खबरों के लिए कोई जगह नहीं थी। खबरों को छापने से पहले सरकारी अधिकारी को दिखाना आवश्यक था। किसी भी खबर को बिना सूचित किये नहीं छापा जा सकता था। जैसे कई अखबारों ने मजबूरी में आपातकाल का विरोध नहीं किया। 9 जुलाई 1975 को दिल्ली के 47 सम्पादकों ने देश में समाचार पत्रों पर लगाये सेंसरशिप और इंदिरागाँधी की नीतियों पर अपना समर्थन व्यक्त किया।

सप्ताहिकी हिन्दुस्तान पत्रिका ने खुलकर सरकार की तरफदारी की। पत्रिका ने 6 फरवरी 1977 को ''राजनीतिक शतरंज के पुराने खिलाड़ी और नए मौहरे'' शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया। जिसमें आने वाले चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी होने की बात कही गई थी।

जो झुकने को नहीं हुए तैयार

इन सरकारी शिकंजे के बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे भी पत्रकार थे जिन्होंने अपने जमीर पर दाग नहीं लगने दिया। प्रेस की आजादी के लिए संघर्ष करते हुए कुलदीप नैयर, सूर्यकान्त बाली, विक्रमराव, वीरेन्द्र कपूर, श्याम खोंसला, देवेन्द्र स्वरूप, रतन मलकायी और दीनानाथ मिश्र जैसे पत्रकारों ने जेल की यातनाएँ झेली। कुल 327 पत्रकारों को मींसा कानून के अन्तर्गत जेल में बन्द कर दिया गया।

सरिता में 6 महीने तक कोई सम्पादकीय कालम नहीं छपा। सरिका ने जुलाई 1975 के अंक में संपादकीय सेंसर अधिकारी द्वारा काला किए गए वाक्यों और शब्दों सहित हूबहू प्रकाशित कर दिया। इस अंक में 27–28 संख्या के पृष्ठ लगभग पूरी तरह काले थे।

प्रेस में प्रतिबंध को लेकर ऐसा भय का वातावरण बना कि सेमीनार और अधिनियम जैसे अनेक पत्र पत्रिकाओं को अपने प्रकाशन बंद करने पड़े। सरकार

ने 3801 समाचार पत्रों के डिक्लेरेशन जब्त कर लिये और 290 अखबारों के विज्ञापन बंद कर दिये गये।

आपातकाल से पहले देश में चार समाचार समितियाँ थीं – पीटीआई, यूएनआई, समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार। सरकार ने इसे मिलाकर एक समिति समाचार का गठन किया जिससे यह पूरी तरह नियंत्रण में रहे। 18 दिसम्बर 1975 को अध्यादेश द्वारा प्रेस परिषद को समाप्त कर दिया गया।आपातकाल के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन पर जनता का ऐसा विश्वास उठा कि लोग बीबीसी और वॉयस ऑफ अमेरिका सुनते थे।

ऐसा नहीं था कि सरकार ने विदेशी पत्रकारों को परेशान ना किया हो ब्रिटेन के टाइम्स ऑफ गार्जियन के समाचार प्रतिनिधियों को भारत से निकाल दिया। रायटर सहित अन्य एजेन्सियों के टेलेक्स और टेलीफोन काट दिये। 7 विदेशी संवाददाताओं को भारत छोड़ने का हुक्म सुनाया गया।

लेकराज के 5 जुलाई 1975 के अंक में आपात घोषणा शीर्षक से सम्पादकीय छपा है। इस संपादकीय में कहा गया है कि कुछ लोगों के अपराध के लिए सम्पूर्ण प्रेस जगत को सेंसरशिप क्यों झेलना पड़े?

लोकराज के 12 जुलाई 1975 के अंक में अनुशासन पर्व शीर्षक से एक संपादकीय छपा जिसमें आपातकाल की घोषणा का स्वागत किया गया था।

25 जून 1975 की रात कालरात्रि जैसी थी। जब देश में आपातकाल लागू हुआ। अगली सुबह से ही पुलिस ने सामाजिक संगठनों, प्रेस, राजनैतिक दलों, समाजसेवियों को सूचीबद्ध कर जेल भेजना शुरू कर दिया। एटा (उत्तर प्रदेश) के करीब उस वक्त 200 लोग मींसा में बंद हुए इनमें भाजपा के बुजुर्ग नेता पूर्व राज्यमंत्रि गेंदालाल गुप्ता, रमाकान्त वैद्य, अतिवीर सिंह जैन, राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, बैनीराम आदि लोग जेल में थे। कई ऐसे लोग भी हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इनमें स्व0 बचान सिंह राठौड़, स्व0 फकीर चन्द्र अग्रवाल जैसे लोकतंत्र रक्षक सेनानी भी शामिल हैं।

बॉलीवुड पर भी चला सरकारी डण्डा

विरोध प्रदर्शन का तो सवाल ही नहीं उठता था क्योंकि जनता को जगाने वाले लेखक, कवि और फिल्म कलाकारों का मुंह बंद करने के लिए नहीं बल्कि इनसे प्रशंसा करने के लिए विद्याचरण शुक्ल सूचना प्रसारण मंत्रि बनाये गये थे।

उन्होंने फिल्मकारों को सरकार की प्रशंसा में गीत लिखने और गाने पर मजबूर किया। ज्यादातर लोग झुक गये लेकिन किशोर कुमार ने आदेश नहीं माना। उनके गाने रेडिया पर बजने बंद हो गये। उनके घर आयकर के छापे पड़े।

फिल्मों ने दिखाया दर्द

1. **हजारों ख्वाहिशें ऐसी 2005**
   निर्देशक सुधीर मिश्रा की यह फिल्म आपातकाल की पृष्ठभूमि पर बनी है। फिल्म में उस दौरान बढ़ रहे नक्सलवाद पर भी प्रकाश डाला गया है।
2. **नसबंदी 1978**
   सरकार द्वारा चलाए गए नसबंदी अभियान पर कटाक्ष करती आइ.एस. जौहर की इस फिल्म की रिलीज को प्रतिबंधित कर दिया गया क्योंकि इसमें इंदिरा सरकार को दिखाया गया था।
3. **किस्सा कुर्सी का 1977**
   अमृत नाहटा की इस फिल्म में शबाना ने भोली–भाली जनता का किरदार निभाया है। आपातकाल पर बनी इस फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया गया और सभी प्रिंट जला दिये गये।
4. **आँधी 1975**
   गुलजार की इस फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया गया क्योंकि यह इंदिरा गाँधी पर आधारित थी।

भूल नहीं सकते आपातकाल

ए. सूर्यप्रकाश के दुःखदायी अनुभवों में से एक है। इंदिरा गाँधी ने 40 साल पहले जब देश पर आपातकाल थोपा था। तब कर्नाटक के पुलिस महानिरीक्षक मेरे संपादकीय बोस हो गये थे। उन्हें राज्य में सेंसर अधिकारी नियुक्त किया गया था। उनके पास पुलिस उपाधीक्षकों, इन्सपेक्टरों और सूचना विभाग के अफसरों की भारी भरकम टीम भी थी। ये सभी अखबारों में अगले दिन के संस्करणों में छापे जाने वाली सभी संपादकीय सामग्री को भंली प्रकार से जांच के लिए उत्तरदायी थे।

आपातकाल के दौरान भूमिगत संचार व्यवस्था के द्वारा एक समाचार प्रचार तंत्र खड़ा हो गया यदि ऐसा नहीं किया जाता तो जनजीवन को एकपक्षीय समचार मिल पाता और सच्ची खबरों से वंचित रह जाते। आपातकाल में संचार अवरोध का खामियाजा जनता पर नहीं पड़ सका किन्तु सत्ता और सरकार आपातकाल विरोधियों की मनोदशा को नहीं समझ पाये। संचार अवरोध का कितना बड़ा खामियाजा सत्ता को उठाना पड़ सकता है। यह वर्ष 1977 के चुनाव परिणाम से सामने आया।

अध्ययन का उद्देश्य

आपातकाल में मीडिया के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोकतंत्र में चौथा स्तम्भ माने जाने वाला मीडिया को किस प्रकार से निर्बल कर दिया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया गया। इस अध्ययन के माध्यम से आम जनता, राजनीति विश्लेषक, शोधार्थी यह जान सकेंगे। 25 जून 1975 को आपातकाल लगते ही मीडिया की आजादी पर पहला बार किस प्रकार किस गया जिसमें अनेक पत्रकारों ने सरकार की तानाशाही रवैये के चलते घुटने टेक दिये। जिन्होंने घुटने नहीं टेके उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया।

निष्कर्ष

अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है। आपातकाल का तानाशाही रूप बहुत ही भयानक था जिसका खामियाजा प्रेस, विरोधी दलों के नेता एवं आम जनता को भुगतना पड़ा था और सन 1977 का चुनाव परिणाम इसी का कारण था। हम आशा करते हैं कि भविष्य में आपातकाल की पुनरावृति न हो।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *मुखर्जी प्रणव : द ड्रामेटिक डिकेड : इन्दिरा गाँधी ईयर्स।*
2. *नायर कुलदीप : द जजमेन्ट : इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया (विकास पब्लिशिंग हाउस) 1977।*
3. *डॉ.अरूण भगत,महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, पी एच. डी. सन 2009।*
4. *कपूर कूमी, द इमरजेंसी ए पर्सनल हिस्ट्री, पैग्विन वाइकिंग।*
5. *दैनिक जागरण 25 जून 2015।*
6. *राजस्थान पत्रिका 25 जून 2015।*
7. *इण्डियन एक्सप्रेस।*